निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

# बिहार गजट

## असाधारण अंक

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**21 माघ 1942 (श0)**

**(सं0 पटना 107) पटना, बुधवार, 10 फरवरी 2021**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

---

अधिसूचना
9 फरवरी 2021

सं0 1/स्था0 (1) 02/20–457—बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्र सं0–12 दिनांक–27.07.2020 के द्वारा विज्ञापन सं0–04/2017 के तहत सहायक अभियंता (असैनिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित 06 अभ्यर्थियों में से निम्नलिखित 04 अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्त्तो के अधीन पुनरीक्षित वेतनमान पे–मैट्रिक्स वेतन स्तर–9 में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ औपबंधिक रूप से सहायक अभियंता (असैनिक) के पदों पर नियुक्त कर उनके नाम के सामने कॉलम–9 में अंकित पद पर पदस्थापित किया जाता है :–

| Ø0 | vH;FkhZ dk uke@ LFkk;h irk | jksy u0 | e?kk Øekd | firk@ ifr dk uke | xg ftyk | tUefrfFk | vkj{k.k dksfV | iLrkfor inLFkkiu LFkku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | श्री हर्ष हिमांशु,<br>पिता– श्री रघुवंश कुमार,<br>पता– अरूण कुमार भगत,<br>नियर होण्डा 2व्हीलर,<br>मिरचाईबाडी चौक,<br>कटिहार– 854105 | 403303 | 1 | श्री रघुवंश कुमार | कटिहार | 22.02.1995 | 05 | सहायक अभियंता, सहरसा |
| 2 | श्री निलेश नंदन,<br>पिता–स्व0 बृजनंदन दास,<br>ग्राम– औरेल, पो0– अमैठी,<br>थाना– वजीरगंज,<br>जिला–गया–805131 | 400903 | 6 | स्व0 बृजनंदन दास | गया | 28.05.1993 | 02 | सहायक अभियंता, भागलपुर |

| Ø0 | vH;Fkhh dk uke@ LFkk;h irk | jksy u0 | e?kk Øekd | firk@ ifr dk uke | xg ftyk | tUefrfFk | vkj{k.k dksfV | iLrkfor inLFkkiu LFkku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | श्री रवि राहुल, पिता–श्री शंकर सिंह, ग्राम–रसुलपुर, पो0–जयन्तीपुर, थाना–लालगंज, वैशाली–844121 | 403220 | 2 | श्री शंकर सिंह | वैशाली | 02.04.1995 | 01 | सहायक अभियंता, मुंगेर |
| 4 | श्री अनिल कुमार, पिता–श्री जीवछ राय, ग्राम–डिहुली, पो0+थाना–अंगारघाट, जिला–समस्तीपुर–848236 | 402419 | 3 | श्री जीवछ राय, | समस्तीपुर | 05.02.1992 | 05 | सहायक अभियंता, मुजफ्फरपुर |

2. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्ट्या सही मानकर एवं पुलीस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने के आधार पर की जा रही है।

3. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक/चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन एवं अन्य संगत प्रमाण–पत्रों को सही मानकर इस शर्त्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अभिलेख के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

4. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5. योगदान के समय अभ्यर्थियों को अपने नियंत्री पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, प्रमाण–पत्रों आदि का सत्यापन संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय/कार्यालय/संस्थान से किये जाने के पश्चात ही वेतन आदि का भुगतान किया जायेगा।

6. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

7. योगदान के समय यदि कोई अभ्यर्थी किसी कार्यालय/संस्थान में कार्यरत है तो उस कार्यालय/ संस्थान से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

8. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली– 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 1964 दिनांक– 31.08.2005 एवं 768 दिनांक– 03.07.2007 के अनुसार इन पदाधिकारियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

9. सभी नवनियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक) नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर अपने पदस्थापन स्थान पर योगदान समर्पित करेंगे।

10. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने–जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]
o/khe vgen]
ljdkj ds mi lfpoA

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 107-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in